

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नन्दलाल

बनाम

श्री. नन्दलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 250/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>27/07/24</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नन्दलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>नरसिंहा जी रेगर</u></p> <p>निवासी- <u>गुजरखेडा</u> तहसील <u>बस्ती</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गुजरखेडा (क०६ नगरी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....<u>351 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.6500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गुजरखेडा (क०६ नगरी तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>351 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.6500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700 = ७००</u> रुपये अक्षरे <u>सात सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>(बीनू देवल)</u> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>